113

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर. ब्लॉक रोड नं0-2 पटना 800001

पत्रांकः- 6637 पटनाः- दिनांकः 11/07/17

प्रेषक,

पंकज कुमार भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक,

प्रेषित,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- **जन वितरण प्रणाली अन्न पर्यवेक्षण कवच का सख्ती से अनुपालन करने के सम्बन्ध मे।**

प्रसंगः- निगम मुख्यालय ज्ञापांक 2957 दिनांक 2.3.2016 एवं 2247 दिनांक 7.3.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य को प्राप्त आवंटित खाद्यान्नों का उठाव, परिवहन, भंडारण एवं निर्गमन का कार्य को पारदर्शी बनाने हेतु डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू है। जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहनों से आवंटित खाद्यान्न का परिवहन तथा एस0एम0एस0 के माध्यम से उसका पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है। उक्त के आलोक में निगम मुख्यालय के उक्त प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से दिशा निदेश आपको उपलब्ध कराया गया है। जिसमें ऑन लाईन जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त वाहनो से खाद्यान्न का परिवहन कराना, एफ0सी0आई0 से एस0एफ0सी0 तथा एस0एफ0सी0 से पी0डी0एस0 दूकान तक भेजे जानेवाले खाद्यान्न की मात्रा वाहन संख्या ड्राईवर का नाम एवं मोबाईल की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित को भेजने, टी0पी0डी0एस0 गोदामो का अंतिम (शेष) भंडारण का दैनिक प्रतिवेदन ई0मेल के माध्यम से जिला पदाधिकारी, प्रमण्डलीय उप निदेशक खाद्य को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जी0पी0एस0 ट्रैकिंग एवं परिवहन के दौरान निर्धारित मार्ग से पथ भ्रष्ट होने के उपरान्त निश्चित रूप से एस0एम0एस0 प्राप्त होने पर आपके स्तर से इसका सत्यापन कर उस पर प्रभावी कार्रवाई किया जाना आपका दायित्व है। विषयांकित मामले में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग की समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आया है कि कतिपय खाद्यान्न से लदे वाहन का जी0पी0एस0 ऑफ पाया गया है या निर्धारित पथ से विचलित हो जाता है। जिस पर सतत् निगरानी एवं एस0एम0एस0 प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई किया जाना है, परन्तु इस संबंध में एस0एम0एस0 अलर्ट पर त्वरित कार्रवाई एवं उसकी सूचना दूरभाष पर नियंत्रण कक्ष मुख्यालय को ससमय नहीं दिये जाने के कारण वाहन के गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का तत्क्षण पता नहीं चल पाता हैं तथा इस तरह के कई मामले में पाया गया है कि कालान्तर में उक्त वाहन के पहुँचने की सूचना प्राप्त होती है जिसका सत्यापन भौतिक रूप से संभव नहीं

mdsir

होता है। वैसी स्थिति में अनियमितता होने की पूरी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में पुनः निदेश दिया जाता है कि पूर्व में निर्गत आदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली **"अन्न पर्यवेक्षण कवच"** में उल्लेखित बिन्दुओ का शत् प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। अगर भविष्य में आपके स्तर पर किसी प्रकार की शिथिलता/अनियमितता या शिकायत प्राप्त होती है तो इसके लिये आपके विरुद्ध जबावदेही का निर्धारण कर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

11/07/2017

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक 6637 पटना/ दिनांक 11/07/17

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/07/2017

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक 6637 पटना/ दिनांक 11/07/17

प्रतिलिपिः– सभी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/प्रोजेक्ट मैनेजर 4G Identity Solution निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/07/2017

प्रबंध निदेशक।

mdsir